झारखण्ड सरकार

उद्योग विभाग

अधिसूचना

06/हस्त0यो0 (सेवा नियमावली)–1907/09__________/ 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 309 के उपबंधों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखंड राज्यपाल एतद् द्वारा झारखंड राज्य के उद्योग विभाग के अधीन हस्तकरघा प्रक्षेत्र के तकनीकी संवर्ग में भर्त्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तों तथा तत्संबंधी मामलों के लिए संलग्न नियमावली गठित किया जाता है।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से

11.9.13

(वंदना दादेल)
सरकार के सचिव,
उद्योग विभाग, झारखंड, रॉंची।

ज्ञापांक 1734 /रॉंची, दिनांक 11.09.13 /
06/हस्त0यो0 (सेवा नियमावली)–1907/09

प्रतिलिपिः अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, रॉंची को झारखंड राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि नियमावली की 250 प्रतियॉं उद्योग विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

11.9.13
सरकार के सचिव,
उद्योग विभाग, झारखंड, रॉंची।

ज्ञापांक 1734 /रॉंची, दिनांक 11.09.13 /
06/हस्त0यो0 (सेवा नियमावली)–1907/09

प्रतिलिपिः प्रधान सचिव, वित्त विभाग, झारखंड, रॉंची/प्रधान सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखंड, रॉंची/सचिव, विधि विभाग, झारखंड, रॉंची को सूचनार्थ प्रेषित।

11.9.13
सरकार के सचिव,
उद्योग विभाग, झारखंड, रॉंची।

ज्ञापांक 1734 /रॉंची, दिनांक 11.09.13 /
06/हस्त0यो0 (सेवा नियमावली)–1907/09

प्रतिलिपिः महालेखाकार, झारखंड, रॉंची/सभी प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष, झारखंड/निदेशक, उद्योग/निदेशक, हस्तकरघा, रेशम एवं हस्तशिल्प, झारखंड, रॉंची/महाधिवक्ता कार्यालय, झारखंड उच्च न्यायालय, रॉंची/राज्यपाल सचिवालय, रॉंची/मुख्यमंत्री सचिवालय, रॉंची/झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, रॉंची/झारखंड लोक सेवा आयोग, रॉंची/सचिव, राजस्व पर्षद, झारखंड, रॉंची/ संयुक्त निदेशक (रेशम)/उप उद्योग निदेशक, झारखंड, रॉंची/सभी संबंधित पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11.9.13
सरकार के सचिव,
उद्योग विभाग, झारखंड, रॉंची।

Adhisuchana

झारखंड सरकार
उद्योग विभाग
हस्तकरघा, रेशम एवं हस्तशिल्प निदेशालय
अधिसूचना

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 309 के उपबंधों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखंड राज्यपाल झारखंड राज्य के उद्योग विभाग के अधीन हस्तकरघा प्रक्षेत्र के तकनीकी संवर्ग में भर्त्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त्तो को विनियमित करने के लिए निम्नांकित नियमावली गठित करते हैः–

भाग–I

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भः**–
   क) यह नियमावली झारखंड राज्य हस्तकरघा तकनीकी संवर्ग नियमावली, 2013 कही जायेगी।
   ख) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखंड राज्य में होगा।
   ग) यह शासकीय गजट में प्रकाशित होने की तिथि से प्रवृत्त होगी।
   घ) इसके प्रभाव से पूर्व निर्धारित योग्यता एवं अनुभव इस हद तक स्वतः संशोधित होंगे।
2. **परिभाषाऍः**– जब तक कोई बात, विषय या संदर्भ के विरुद्ध न हो इस नियमावली में–
   क) 'राज्य' से अभिप्रेत है झारखंड राज्य ;
   ख) 'विभाग' से अभिप्रेत है उद्योग विभाग;
   ग) 'सेवा' से अभिप्रेत है हस्तकरघा तकनीकी संवर्ग की सेवा;
   ध) 'संवर्ग' से अभिप्रेत है हस्तकरघा अधीनस्थ तकनीकी संवर्ग;
   ड0) 'नियुक्ति प्राधिकार' से अभिप्रेत है निदेशक, हस्तकरघा, रेशम एवं हस्तशिल्प, उद्योग विभाग, झारखंड, रॉची;
   च) 'नियमावली' से अभिप्रेत है झारखंड हस्तकरघा अधीनस्थ तकनीकी संवर्ग नियमावली, 2013;
   छ) 'आयोग' से अभिप्रेत है झारखण्ड लोक सेवा आयोग/झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग।
3. **संवर्ग की रचना एवं बलः**–
   हस्तकरघा प्रक्षेत्र के अराजपत्रित तकनीकी सेवा संवर्ग में मूलतः तीन कोटि के कर्मी सीधी नियुक्ति से आते हैं। पर्यवेक्षकीय स्तर पर तकनीकी पर्यवेक्षक एवं समकक्ष पद धारक एवं कनीय स्तर पर कुशल शिल्पी एवं समकक्ष तथा सहायक उत्पादक एवं समकक्ष पदधारक। तीनो स्तर के समकक्षीय पद निम्नवत हैः–

क) तकनीकी पर्यवेक्षक एवं समकक्ष–
   i) पर्यवेक्षक
   ii) तकनीकी पर्यवेक्षक
   iii) तकनीकी सहायक
   iv) अन्वेषक

ख) कुशल शिल्पी एवं समकक्षः–
   i) कुशल शिल्पी
   ii) कुशल बुनकर
   iii) बढ़ई

ग) सहायक सह उत्पादक एवं समकक्षः–

i) सहायक उत्पादक

तकनीकी पदों की विवरणी परिशिष्ट–ख पर संलग्न है।

भाग–II(क)

प्रबंधक पदों पर भर्ती / नियुक्ति
(PB-2, वेतनमान् 9300–34800 ग्रेड वेतन–4600)

1. इस संवर्ग में नियुक्त कर्मी हस्तकरघा प्रक्षेत्र के विभिन्न केन्द्रों में प्रबंधक एवं समकक्ष पदों पर पदस्थापित होंगे।
2. यह पद राजपत्रित वर्ग – II का पद है।
3. यह पद तकनीकी पर्यवेक्षक एवं समकक्ष पदों की प्रोन्नति का पद है।
4. रिक्तियों का नियतीकरणः– प्रत्येक वर्ष की 1ली जनवरी को इस संवर्ग में रिक्त पदों की गणनाा की जाएगी।
5. भर्ती के स्रोत :– (क) प्रोन्नति – 100%

भाग–II (ख)

तकनीकी पर्यवेक्षक एवं समकक्ष पद पदों पर भर्ती / नियुक्ति
वेतनमान्–9300–34800,G.Pay-4200

1. इस संवर्ग में नियुक्त कर्मी हस्तकरघा प्रक्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों / केन्द्रों / निदेशालय में तकनीकी पर्यवेक्षक एवं समकक्ष पदों पर पदस्थापित होंगे। इस संवर्ग के नियुक्ति अधिकारी निदेशक, हस्तकरघा, रेशम एवं हस्तशिल्प, झारखंड, रॉची होंगे।
2. यह पद अराजपत्रित श्रेणी का है।
3. रिक्तियों का नियतीकरण– प्रत्येक वर्ष की 1ली जनवरी को इस संवर्ग में रिक्त पदों की गणना की जाएगी।
4. भर्ती के स्रोत – (क) सीधी भर्ती– 75%
(ख) प्रोन्नति – 25%

भाग–II (ग)

सहायक सह उत्पादक एवं समकक्ष पदों पर भर्ती / नियुक्ति
(PB-1, वेतनमान् 5200–20200 ग्रेड वेतन–1800 दसवीं उत्तीर्ण हेतु)

1. इस संवर्ग में नियुक्त कर्मी हस्तकरघा प्रक्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों / केन्द्रों में सहायक सह उत्पादक एवं समकक्ष पदों पर पदस्थापित होंगे। इस संवर्ग के नियुक्ति अधिकारी निदेशक, हस्तकरघा, रेशम एवं हस्तशिल्प, झारखंड, रॉची होंगे।
2. रिक्तियों का नियतीकरण– प्रत्येक वर्ष की 1ली जनवरी को इस संवर्ग में रिक्त पदों की गणनाा की जाएगी।
3. भर्ती के स्रोत – सीधी भर्ती– 100%

भाग–III (क)

सीधी भर्त्ती द्वारा तकनीकी पर्यवेक्षक एवं समकक्ष पदों पर नियुक्ति

वेतनमान्–9300–34800,G.Pay-4200

1. **सीधी नियुक्ति की प्रक्रिया**– रिक्तियों की संख्या का कोटिवार आरक्षण रोस्टर तैयार कर आयोग द्वारा सीधी नियुक्ति हेतु पदों को विज्ञापित किया जाएगा। आयोग द्वारा लिखित/मौखिक परीक्षा के आधार पर तैयार पैनल से तकनीकी पर्यवेक्षक एवं समकक्ष पदों पर सीधी नियुक्ति की जा सकेगी।
2. **सीधी नियुक्ति के लिए योग्यता/अर्हताएँ**–

(i) **शैक्षणिक योग्यता**–(क) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से बी0एस0सी0 सिल्क टेक0 की डिग्री/बी0टेक0(टेक्सटाईल)/पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन हैण्डलूम टेक्नोलॉजी।

(ii) **उम्र**– निर्धारित तिथि को न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम उम्र कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड के परिपत्र के अनुरूप होगी। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति एवं महिला उम्मिदवारों/ विकलांगों को कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड के परिपत्र के अनुरूप अधिकतम उम्र में छूट देय होगी।

(iii) **रिक्तियों का संसूचन**– प्रत्येक वर्ष की 1ली जनवरी को होने वाली रिक्तियों की सूचना प्रशासी विभाग, आयोग को देगा।

भाग–III (ख)

सीधी भर्त्ती द्वारा सहायक सह उत्पादक एवं समकक्ष पदों पर नियुक्ति

(PB-1, वेतनमान् 5200–20200 ग्रेड वेतन–1800 दसवीं उत्तीर्ण हेतु)

1. **सीधी नियुक्ति की प्रक्रिया**– रिक्तियों की संख्या का कोटिवार आरक्षण रोस्टर एवं अधियाचना प्राप्त होने पर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा सीधी भर्त्ती हेतु पदों को विज्ञापित किया जाएगा। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा लिखित/मौखिक परीक्षा के आधार पर तैयार पैनल से इन पदों पर सीधी नियुक्ति की जाएगी।
2. **सीधी नियुक्ति के लिए योग्यता/अर्हताएं**–

(i) **शैक्षणिक योग्यता**–मैट्रिक एवं बुनकर प्रशिक्षण केन्द्रों से एक वर्षीय सर्टिफिकेट कोर्स उत्तीर्ण।

(ii) **उम्र**–निर्धारित तिथि को न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम उम्र कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के परिपत्र के अनुरूप होगी। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति एवं महिला उम्मिदवारों/ विकलांगों को कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड के परिपत्र के अनुरूप अधिकतम उम्र में छूट देय होगी।

(iii) **रिक्तियों का संसूचन**– प्रत्येक वर्ष की 1ली जनवरी को इस संवर्ग में रिक्त पदों की गणना कर संसूचित की जाएगी।

भाग–IV
प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति

1. **प्रोन्नति का पद सोपान** – संवर्ग में उल्लिखित पदों का पद सोपान परिशिष्ट 'क' के अनरूप होगा।
2. **प्रोन्नति हेतु कालावधि** – कार्मिक विभाग के परिपत्र के अनुरूप होगी।
3. **रिक्तियों का नियतीकरण** – प्रत्येक वर्ष की 1ली जनवरी को होने वाली रिक्तियों पर विभाग में प्रोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों का नियतीकरण किया जाएगा।
4. **प्रोन्नति की प्रक्रिया**– प्रत्येक श्रेणी के पदों पर प्रोन्नति विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर दी जाएगी। आंकलित रिक्तियों का आरक्षणवार रोस्टर तैयार करने के उपरांत वरीयता सह योग्यता के आधार पर अपेक्षित अर्हत्ता वाले कर्मियों को प्रोन्नति हेतु विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा अनुशंसा की जाएगी।

भाग–V
विविध

1. **परिवीक्षा (Probation)**– परिशिष्ट–क के क्रम सं0–2 एवं 4 के पद पर सीधे नियुक्त कर्मियों के लिए दो वर्षों की परिवीक्षा अवधि होगी। नियंत्री पदाधिकारी द्वारा परिवीक्षा अवधि के सफलतापूर्वक पूर्ण होने की स्थिति में ही उन्हें नियमित किया जाएगा। ऐसा नहीं होने की स्थिति में परिवीक्षा अवधि एक साल बढ़ायी जा सकती है। इस अवधि में सेवा असंतोषजनक पाये जाने, उक्त सेवा में नियुक्ति के योग्य न होने, कार्य हेतु अनुपयुक्त पाये जाने पर संबंधित कर्मी की नियुक्ति समाप्त कर दी जाएगी।
2. **प्रशिक्षण एवं विभागीय परीक्षा**– समय–समय पर विभाग द्वारा कर्मियों को अनिवार्य प्रशिक्षण हेतु भेजा जा सकता है जिसे सफलतापूर्वक पूर्ण करना अनिवार्य होगा। प्रत्येक वर्ग के सरकारी सेवकों के लिए विहित कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात ही कार्मिक प्रबंधन से संबंधित सभी लाँभ यथा सेवा सम्पुष्टि, वार्षिक वेतन वृद्धि, उच्चतर पदों पर प्रोन्नति इत्यादि प्रदान की जाएगी। वर्ग–3 के कर्मियों को कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के परिपत्रों के अनुरूप हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा पास करना अनिवार्य होगा। हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा पास न होने की स्थिति में वार्षिक वेतन वृद्धि अवरूद्ध रहेगी। कर्मियों को प्रोन्नति होने की स्थिति में जनजातीय भाषा की परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। परियोजना प्रबंधक/प्रबंधक पद धारक को एक वर्ष के अंदर विभागीय लेखा परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा अन्यथा अगली वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से अवरूद्ध रहेगी।
3. **सेवा सम्पुष्टि**– संवर्ग में नियुक्त/प्रोन्नत कर्मियों की सेवा संपुष्टि झारखण्ड सेवा संहिता के नियमों/प्रावधानों के अंतर्गत की जाएगी। सेवा सम्पुष्टि के लिए हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा तथा जनजातीय क्षेत्रीय भाषा परीक्षा में उतीर्ण होना आवश्यक होगा और कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात् ही सेवा सम्पुष्टि की जाएगी।
4. **प्रशासनिक नियंत्रण**– संवर्ग के अंतर्गत सभी पद राज्य स्तरीय है। इसलिए सेवा शर्तों से सम्बंधित प्रशासनिक नियंत्रण निदेशक, हस्तकरघा, रेशम एवं हस्तशिल्प, झारखंड, रॉंची में समाहित होगा।

5. **अनुशासनिक कार्रवाई**—संवर्ग के पदधारकों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई का अधिकार विभागाध्यक्ष के अधीन होगा। अनुशासनात्मक कार्रवाई राज्य में प्रवृत्त सुसंगत नियमावली के प्रावधानों के तहत नियंत्री पदाधिकारी द्वारा की जा सकेगी।

इस दण्ड के विरूद्ध सचिव, उद्योग विभाग के समक्ष दण्डादेश की प्राप्ति अथवा जानकारी से 60 दिनों के भीतर अपील कर सकेगें। इस सम्बन्ध में सचिव, उद्योग विभाग का आदेश अंतिम होगा।

6. **स्थानान्तरण**— इस संवर्ग के सभी कर्मियों की सेवा राज्यस्तरीय है। संवर्ग के कर्मियों का स्थानान्तरण निदेशालय स्तर पर गठित स्थापना समिति द्वारा किया जाएगा। स्थापना समिति निम्नवत होगी:—

निदेशालय स्तर पर गठित स्थापना समिति

(क)	निदेशक, हस्तकरघा, रेशम एवं हस्तशिल्प	—	अध्यक्ष
(ख)	संयुक्त निदेशक (रेशम)/उप उद्योग निदेशक (रेशम)	—	सदस्य
(ग)	अवर सचिव (स्थापना)/उप उद्योग निदेशक(स्थापना)	—	सदस्य सचिव
(घ)	अनुसूचित जाति/जनजाति का एक विभागीय पदा०	—	सदस्य
(ड.)	उप उद्योग निदेशक (हस्तकरघा/हस्तशिल्प)	—	सदस्य

7. **सेवा की अन्य शर्तें** —

(क) पुरस्कार/प्रशस्ति पत्र — किसी कर्मी को उनके विशेष कार्य/उत्कृष्ट प्रदर्शन पर पुरस्कृत करने या प्रशस्ति पत्र देने का अधिकार विभागाध्यक्ष का होगा जो उच्चाधिकार गठित समिति द्वारा किए कार्यों के मूल्यांकन के उपरांत अनुशंसा के आलोक में प्रदत्त किया जाएगा।

(ख) सेवा संवर्ग के संबंधित कर्मियों का वार्षिक चारित्रिक अभ्युक्ति नियंत्री पदाधिकारी/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा आलेखित की जाएगी।

(ग) संवर्ग के कर्मियों को देय सुनिश्चित वृति उन्नयन योजना/संशोधित सुनिश्चित वृति उन्नयन योजना के तहत लाभों की स्वीकृति/प्रोन्नति देय तिथि से सरकार द्वारा घोषित नियमों के अनुसार दी जाएगी।

(घ) अवकाश/सेवापुस्त आदि के संबंध में समय—समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्गत एतदर्थ अनुदेश प्रभावी होंगे।

8. **प्रकीर्ण**:—

(क) अन्य ऐसे मामले जिनके संबंध में ऊपर के खण्डों में कोई उपबंध नहीं किया गया है, उनमें झारखंड सेवा संहिता अथवा राज्य सरकार के पदाधिकारी/कर्मचारियों पर लागू अन्य वैधानिक प्रावधान लागू होंगे। पदाधिकारी/कर्मचारियों को विहित नियमों के अधीन यह सुविधा देने की शक्ति संवर्ग के नियंत्री पदाधिकारी अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी को हागी।

(ख) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस नियमावली को विखंडित कर सकेगी या इसमें संशोधन कर सकेगी या इस नियमावली के नियमों को स्पष्ट कर सकेगी या उसे लागू करने में उत्पन्न त्रुटियों को दूर कर सकेगी।

(ग) राज्य सरकार की अधिसूचना द्वारा निर्गत कोई स्पष्टीकरण या आदेश इस नियमावली का अंग माना जायेगा।

9. **निरसन** :–

(क) इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पूर्व इस नियमावली के विषयों पर बिहार सरकार द्वारा बनायी गयी नियमावली या निर्गत कोई नियम/विनियम/अनुदेश/आदेश इस नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि से निरसित माने जायेंगे।

व्यावृत्ति

(ख) ऐसे निरसन के होते हुए भी उल्लिखित आदेश के द्वारा या उसके अधीन व्यक्तियों के प्रयोग में किया गया कोई कार्य या की गई कार्रवाई इस नियमावली द्वारा इसके अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किया गया या की गई समझी जाएगी। मानो यह नियमावली उस दिन प्रवृत थी, जिस दिन ऐसा कार्य किया गया था या ऐसी कार्रवाई की गई थी।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से

11.9.13

सचिव,

उद्योग विभाग, झारखंड, रॉची।

परिशिष्ट–क

हस्तकरघा तकनीकी संवर्ग में वेतनमान/स्वीकृत पद एवं अन्य विवरणीः–

क्र0	पदों के पदनाम	वेतनमान	वर्तमान स्वीकृत बल	प्रोन्नति हेतु वांछित योग्यता
1	(क) प्रबंधक राजपत्रित वर्ग–II	9300-34800 (G.Pay-4600)	04	तकनीकी पर्यवेक्षक एवं समकक्ष पदों की प्रोन्नति प्रबंधक (वेतनमान–9300–34800G.Pay-4600) के पद पर होगी तथा उसके बाद उद्योग सेवा नियमावली के अनुरूप प्रबंधक की प्रोन्नति बेसिक ग्रेड पद पर होगी।
	तकनीकी पर्यवेक्षक/पर्यवेक्षक/अन्वेषक/तकनीकी सहायक/प्रबंधक	9300-34800 (G.Pay-4200)	07	
2	वरीय अनुदेशक	5200-20200 (G.Pay-2400)	09	वरीय अनुदेशक एवं समकक्ष पदों की प्रोन्नति तकनीकी पर्यवेक्षक एवं समकक्ष (वेतनमान–9300–34800G. Pay-4200) के पद पर ऐसे कर्मियों की होगी जो बुनाई/रंगाई में एक वर्षीय सर्टीफिकेट कोर्स उत्तीर्ण के साथ कम से कम स्नातक उत्तीर्ण होंगे।
3	कुशल शिल्पी/कुशल बुनकर/बढ़ई	5200-20200 (G.Pay-1900)	12	कुशल शिल्पी एवं समकक्ष पदों की प्रोन्नति वरीय अनुदेशक (वेतनमान–5200–20200G. Pay-2400) के पद पर ऐसे कर्मियों की होगी जो बुनाई/रंगाई में एक वर्षीय सर्टीफिकेट कोर्स उत्तीर्ण के साथ कम से कम इंटर उत्तीर्ण होंगे।
	सहायक उत्पादक	5200-20200 (G.Pay-1800) (for matric)	07	सहायक सह उत्पादक एवं समकक्ष पदों की प्रोन्नति कुशल शिल्पी (वेतनमान–5200–20200G. Pay-2400) के पद पर ऐसे कर्मियों की होगी जो बुनाई/रंगाई में एक वर्षीय सर्टीफिकेट कोर्स उत्तीर्ण के साथ कम से कम इंटर उत्तीर्ण होंगे।

परिशिष्ट–ख

पदोन्नति हेतु पद सोपान

परियोजना प्रबंधक–राजपत्रित वर्ग–2–मूल कोटि (उद्योग सेवा संवर्ग)
(वेतनमान–9300-34800, G.Pay-4800)

↑ **पदोन्नति प्रतिशत–100%**

प्रबंधक–राजपत्रित वर्ग–2
(वेतनमान–9300-34800, G.Pay-4600)

↑ **पदोन्नति प्रतिशत–100%**

तकनीकी पर्यवेक्षक/पर्यवेक्षक/अन्वेषक/तकनीकी सहायक
(वेतनमान–9300-34800, G.Pay-4200)

↑ सीधी नियुक्ति–75%
पदोन्नति प्रतिशत–25%

वरीय अनुदेशक
(वेतनमान –5200-20200, G.Pay-2400 इंटर उत्तीर्ण हेतु)

↑ पदोन्नति प्रतिशत–100%

कुशल शिल्पी/कुशल बुनकर
(वेतनमान–5200-20200, G.Pay-1900)

पदों के खाली होने पर सहायक उत्पादक एवं समकक्ष के साथ मर्ज कर लिया जाएगा, वर्तमान में प्रोन्नति में वरीयता कुशल शिल्पी एवं समकक्ष को दिया जाएगा)

सहायक उत्पादक
(वेतनमान–5200-20200, G.Pay-1800 for matric)
सीधी नियुक्ति 100%